

अध्याय-II
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखा वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखा के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वास्तविक रूप से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बंधित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2016-17 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: 2016-17 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) / आधिव्यय ⁹ (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित बचतों का प्रतिशत (कॉलम 7/ कॉलम 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
दत्तमत	I राजस्व	25,385.73	1,502.78	26,888.51	24,512.27	(-) 2,376.24	3,047.89	128
	II पूंजी	3,240.85	580.78	3,821.63	3,509.95	(-) 311.68	418.14	135
	III ऋण एवं अग्रिम	428.19	114.25	542.44	3,289.69*	2,747.25	142.63	लागू नहीं
कुल दत्तमत		29,054.77	2,197.81	31,252.58	31,311.91	59.33	3,608.66	
प्रभारित	IV राजस्व	3,455.44	4.49	3,459.93	3,410.75	(-) 49.18	84.30	171
	V पूंजी	शून्य	73.85	73.85	42.06	(-) 31.79	-	लागू नहीं
	V लोक ऋण-चुकोती	2,228.52	1,660.39	3,888.91	3,942.84	53.93	2.00	लागू नहीं
कुल प्रभारित		5,683.96	1,738.73	7,422.69	7,395.65	(-) 27.04	86.30	लागू नहीं
आकस्मिक निधि (अगर कोई है) से विनियोजन		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग		34,738.73	3,936.54	38,675.27	38,707.56	32.29	3,694.96	-

स्रोत: विनियोजन लेखे

* उदय स्क्रीम के आधार पर ₹2,890.50 करोड़ सम्मिलित है।

वर्ष 2016-17 के दौरान मूल बजट प्रावधान ₹ 34,738.73 करोड़ था इसमें ₹ 3,936.54 करोड़ का अनुपूरक अनुदान किया गया जिससे कुल बजट प्रावधान ₹ 38,675.27 करोड़ हो गया। कुल बजट

⁹ निधियों के उपयोग में कमी

प्रावधान के विरुद्ध ₹ 38,707.56 करोड़ प्रयुक्त किये गये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.29 करोड़ का आधिक्य हुआ।

2016-17 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 32.29 करोड़ का समग्र व्यय आधिक्य राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत दो अनुदानों एवं दो विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत एक विनियोजन में ₹ 3,037.61 करोड़ (इसमें उदय स्कीम से संबंधित ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है) (संदर्भ: विनियोजन लेखा का सारांश) के आधिक्य तथा राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 30 अनुदानों एवं छः विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 22 अनुदानों एवं एक विनियोजन में ₹ 3,005.32 करोड़ (संदर्भ: विनियोजन लेखा के सारांश) की बचतों के परिणामस्वरूप था। इस अवधि के दौरान ₹ 3,694.96 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित की गई थी।

अनुदान जिनके प्रति वर्ष के दौरान ₹ 25 करोड़ से अधिक महत्वपूर्ण बचतें पाई गई थीं उनमें भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन, पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन, कृषि, पशुपालन, योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना, वन एवं वन्य जीवन, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विद्युत विकास, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण, शहरी विकास, वित्त, जनजातीय विकास एवं अनुसूचित जाति उप-योजना (राजस्व दत्तमत्त), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, जनजातीय विकास एवं अनुसूचित जाति उप-योजना (पूंजीगत दत्तमत्त)। इसी प्रकार, अनुदान/विनियोजन जिनके प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान आवंटनों की तुलना में महत्वपूर्ण व्यय आधिक्य पाया गया उनमें सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व दत्तमत्त), विद्युत विकास एवं लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन (पूंजीगत दत्तमत्त) और वित्त (पूंजीगत प्रभारित) थे।

महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय द्वारा नियन्त्रक कार्यालयों को मासिक व्यय प्रतिवेदनों के माध्यम से नियमित रूप से बचतें एवं आधिक्य सूचित किए गए थे। उन्होंने मई एवं जून में आरंभिक एवं अंतिम लेखा के निपटान के लिए अथवा नियंत्रक कार्यालयों से भिन्नताओं हेतु कारणों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने सम्बन्धित मामला उठाया था लेकिन कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ था (सितंबर 2017)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 व्यय आधिक्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के अनुसार इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोजन को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद बजट प्रावधान की तुलना में व्यय आधिक्य 2015-16 के ₹ 2,848.43 करोड़ से ₹ 1,89.18 करोड़ (6.64 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 में ₹ 3,037.61 करोड़ हो गया (इसमें उदय स्कीम से संबंधित ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है)। जो दर्शाता है कि बजट आकलनों की समीक्षा ठीक प्रकार से नहीं की गयी थी। विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों के ब्यौरे जहां चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में कुल व्यय (₹ 10,803.41 करोड़) अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 3,037.22 करोड़ तक अधिक हुआ, परिशिष्ट 2.1 में दिये गए हैं।

अधिक व्यय से बचने हेतु दोषी विभागों के विरुद्ध सुदृढ़ उपाय करने की आवश्यकता है। अधिक व्यय की अपरिहार्यता का कोई ठोस कारण नहीं है जबकि सरकार को वर्ष में विधानमण्डल के तीन सत्रों के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बजटीय अनुदान की अधिकता खराब योजना, दूरदर्शिता के अभाव तथा बजट आकलनों के साथ-साथ अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों पर असक्षम अनुश्रवण का परिणाम थी।

2.3.1.1 प्रावधानों की तुलना में आधिक्य जो नियमन हेतु अपेक्षित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोजन की तुलना में आधिक्य को राज्य विधायिका से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर परिचर्चा पूर्ण किए जाने के उपरांत व्यय आधिक्य का नियमन किया जाता है। तथापि, 2011-12 से 2015-16 तक के वर्षों का ₹ 6,364.57 करोड़ (परिशिष्ट 2.2) का व्यय आधिक्य सितम्बर 2017 तक नियमित किया जाना शेष था। वर्ष 2016-17 के दौरान पांच अनुदानों तथा तीन विनियोजनों में हुए ₹ 3,037.61 करोड़ (परिशिष्ट 2.3) के व्यय आधिक्य को भी नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

2.3.1.2 निरंतर व्यय आधिक्य

2010-11 से 2016-17 की अवधि के विनियोजन लेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2010-11 (₹ 586.72 करोड़), 2011-12 (₹ 350.71 करोड़), 2012-13 (₹ 285.21 करोड़), 2013-14 (₹ 255.33 करोड़), 2014-15 (₹ 474.07 करोड़), 2015-16 (₹ 184.97 करोड़) तथा 2016-17 (₹ 188.29 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के अन्तर्गत राजस्व-दत्तमत्त में निरन्तर व्यय आधिक्य था।

निरन्तर व्यय आधिक्य ने इंगित किया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं है क्योंकि वर्ष के लिए निधियां आवंटित करते समय गत वर्षों की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया।

2.3.1.3 प्रावधानरहित व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि, यह देखा गया कि 10 मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में कोई प्रावधान किए बिना तथा इस आशय के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 37.16 करोड़ का व्यय किया गया जिसका परिशिष्ट 2.4 में ब्यौरा दिया गया है।

कुल 10 मामलों में से चार मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) ऐसे थे जहां प्रावधान के बिना किया गया व्यय ₹ 35.39 करोड़ तक बढ़ गया था। अतः विनियोजन से आधिक्य अथवा विनियोजनों/राज्य विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना किया गया व्यय अनियमित है और बजट नियन्त्रण तन्त्र में चूक का द्योतक है।

2.3.1.4 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्वरूप बचत/आधिक्य व्यय

अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन, मूल प्राधिकृत अनुदान अथवा विनियोजन में बढ़ौतरी है। बजट नियमावली के परिच्छेद 170 में विनिर्दिष्ट है कि अनुपूरक विनियोजनों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया में कड़ी मेहनत सम्मिलित रहती है।

- 10 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 119.70 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा था (परिशिष्ट 2.5)।
- चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 1,993.39 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए और कुल ₹ 3,037.22 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट 2.6)। इस आधिक्य में से ₹ 2,687.01 करोड़ (88 प्रतिशत) विद्युत विभाग द्वारा उदय स्कीम के आधार पर अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत व्यय किए गए थे।

इससे इंगित हुआ कि प्रशासनिक विभाग मासिक व्यय नियंत्रण तन्त्र के माध्यम से व्यय की खराब निगरानी के कारण वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का यथार्थ निर्धारण/आकलन नहीं कर सके थे।

2.3.2 निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 27 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में बचतें/आधिक्य हुआ (परिशिष्ट 2.7)। इनमें से, नौ उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) आधिक्य/बचतें हुईं।

2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह से विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन मास में बचना चाहिए।

इसके विपरीत वर्ष के दौरान 39 उप-शीर्षों में ₹ 1,096.09 करोड़ का व्यय, जो प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक था और वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिक था, मार्च 2017 के महीने में किया गया था (परिशिष्ट 2.8)। मुख्य शीर्षों, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ या 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, का ब्यौरा तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2017 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	52.08	28.22	54	28.05	54
2.	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	27.62	15.05	54	14.65	53
3.	4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	241.38	189.47	78	189.47	78
4.	2216-आवास	15.60	12.49	80	10.26	66
5.	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	58.08	34.03	59	29.73	51
6.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	35.23	30.35	86	27.84	79
7.	4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	27.99	20.00	71	15.35	55
8.	2216-आवास	25.00	22.63	91	12.50	50
9.	4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	13.42	10.91	81	10.37	77
योग		496.40	363.15		338.22	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी।

2.3.4 आवंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 42 मामलों में से 11 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ व अधिक अथवा कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गईं (परिशिष्ट 2.9)। कुल ₹ 3,005.32 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,113.53 करोड़ (70 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत सात अनुदानों से सम्बन्धित थी जिसमें प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक अंतर्ग्रस्त थे, जैसा कि तालिका 2.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.3: ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	स्कीमों जहां बहुत अधिक बचतें हुईं
राजस्व दत्तमत्त					
1.	08-शिक्षा	5,262.91	4,397.95	864.96(16)	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता अनुदान: 151.19; मिडिल विद्यालय: 471.80
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,618.40	1,322.50	295.90(18)	अस्पताल एवं चिकित्सालय (ग्रामीण): 69-33; अस्पताल एवं चिकित्सालय (शहरी): 58.91; जिला स्थापना: 24.92; आयुर्वेदिक अस्पताल/चिकित्सालय: 27.97
3.	20-ग्रामीण विकास	1,218.40	1,096.79	121.61(10)	मनरेगा: 70.88; एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम: 40.56
4.	23-विद्युत विकास	967.00	820.65	146.35(15)	टैरिफ रोल के आधार पर सब्सिडी: 145.00
5.	31-जनजातीय विकास	1,033.37	855.52	177.85(17)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम: 48.60; सर्व शिक्षा अभियान: 25.28; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: 10.79; एकीकृत बाल विकास स्कीम: 13.05; एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम: 8.33
6.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	1,126.06	804.92	321.14(29)	मिडिल विद्यालय: 12.30; सर्व शिक्षा अभियान: 61.42; राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान: 15.11; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 26.76; एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम: 18.00; नरेगा: 139.32; कुल स्वच्छता कार्यक्रम: 22.67
पूंजीगत दत्तमत्त					
7.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	583.45	397.73	185.72(32)	ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम का अनुरक्षण एवं सुधार: 121.42; राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम: 16.79
योग		11,809.59	9,696.06	2,113.53	

स्रोत: विनियोजन लेखे

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

अनुदानों में इस प्रकार की बड़ी बचतें दर्शाती हैं कि सरकार द्वारा प्राप्तियों/राजस्वों का यथार्थ अनुमान लगाए बिना ही बजट प्रावधान आधिक्य में किये गये। राज्य सरकार द्वारा अधिक मात्रा में बचतों (उपयोग में कमी) के कारण नहीं बताए गए थे (सितम्बर 2017)।

2.3.4.1 निरंतर बचतें

गत पांच वर्षों के दौरान सात मामलों में निरंतर बचतें थी (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक), जैसा कि तालिका 2.4 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.4: 2012-17 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व दत्तमत्त						
1.	03-न्याय प्रशासन	14.78	16.71	4.52	12.53	9.82
2.	08-शिक्षा	119.99	342.46	385.37	1,076.22	864.96
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	6.89	13.44	11.61	31.40	28.40
4.	20-ग्रामीण विकास	72.69	60.04	109.86	208.74	121.61
पूंजीगत-दत्तमत्त						
5.	29-वित्त	5.07	4.52	5.49	5.20	1.51
6.	31-जनजातीय विकास	8.54	45.42	7.17	17.38	177.85
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	61.22	83.63	9.27	108.71	321.14

स्रोत: विनियोजन लेखे

निरंतर बचतें दर्शाती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं था तथा चालू वर्ष के लिए निधियां आवंटित करते समय विगत वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

2.3.4.2 अधिक मात्रा में अभ्यर्पण

संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता, भारत सरकार द्वारा राज्य के अंशदान के बराबर निधियां निर्गत न करने, भवनों के निर्माण पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन इत्यादि के कारणों से 138 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.10) के सम्बंध में अधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत अथवा अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। ₹ 1,443.50 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 1,124.30 करोड़ (78 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये थे जिसमें 62 स्कीमों (₹ 379.63 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण किया गया था। 62 स्कीमों में से बहुत अधिक अभ्यर्पण मुख्यतः अनुदान संख्या 09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत 'राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 14.99 करोड़)', अनुदान संख्या 31-जनजातीय विकास के अंतर्गत 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 48.60 करोड़)', अनुदान संख्या 15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि स्कीम (₹ 18.07 करोड़)', अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास के अंतर्गत 'हिमाचल प्रदेश संचारण निगम सीमित को इक्विटी अंशदान (₹ 20.49 करोड़)', अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 'ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विभिन्न जिलों में एल.आई.एस. (₹ 17 करोड़) तथा विभिन्न जिलों में एफ.आई.एस. का अपवर्तन (₹ 12.60 करोड़)' तथा अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत 'ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई स्कीम (₹ 44.42 करोड़) तथा (₹ 29.62 करोड़)' जिला शिमला में पब्लर नदी का नहरीकरण (₹ 15.19 करोड़)।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2017 तक 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) में ₹ 2,863 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था (परिशिष्ट 2.12)। मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस पर निधियों का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद क्षेत्रों में अन्य विकासशील उद्देश्यों के लिए निधियों की प्रयुक्ति नहीं हुई।

2.3.4.3 प्रत्याशित बचतें अभ्यर्पित न करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जैसी एवं जब प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित अनुदानों में यह पाया गया कि ₹ 476.65 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 45.32 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये गये थे जैसाकि तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5: अभ्यर्पित नहीं किए गए ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	20-ग्रामीण विकास	121.61	121.38	0.23
2.	30-विविध सामान्य सेवाएं	13.00	8.00	5.00
पूँजीगत-दत्तमत्त				
3.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2.84	0	2.84
4.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	185.72	185.58	0.14
5.	29- वित्त	1.51	0.01	1.50
6.	31- जनजातीय विकास	20.88	20.64	0.24
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	99.31	73.13	26.18
पूँजीगत-भारित				
8.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन	31.78	0	31.78
	योग	476.65	408.74	67.91

जैसाकि तालिका 2.5 से स्पष्ट है, बचतों की बड़ी राशि के बावजूद मुख्यतः अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना: ₹ 26.18 करोड़ (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन (पूँजीगत-भारित) और 05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अन्तर्गत पर्याप्त बचतों के बावजूद कोई अभ्यर्पण नहीं किये गये थे।

2.4 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखे (पी.डी.ए.) समेकित निधि को डेबिट द्वारा सृजित किये जाते हैं और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों में शेष को माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि 15 जिला कोषागारों में 113 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे। तथापि, 2016-17 के दौरान कोई व्यक्तिगत निक्षेप लेखा न तो खोला गया और न ही बंद किया गया। 31 मार्च 2017 तक (परिशिष्ट 2.13) इन 113 लेखों में ₹ 325.28 करोड़ शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 325.18 करोड़ के शेष से युक्त 76 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- ₹ 0.10 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा 2010-11 से परिचालन में नहीं था।
- 36 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में शून्य शेष था।

वित्तीय वर्ष के अन्त के बाद व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में निधियां रखने के चलन से निधियों के दुरुपयोग का जोखिम रहता है, अतः इससे बचने तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में अव्ययित शेषों को जांच-पड़ताल के पश्चात् समेकित निधि में वापिस हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

2.5 चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम

दो नमूना जांच किये गए अनुदानों, अनुदान संख्या 10¹⁰- "लोक निर्माण, पुल एवं भवन" तथा अनुदान संख्या 13¹¹- "सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता" से सम्बन्धित बजट प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई थी (जुलाई एवं अगस्त 2017) और समीक्षा के दौरान पाये गये प्रमुख बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है:

2.5.1 अनुदान संख्या 10- "लोक निर्माण, पुल एवं भवन"

2.5.1.1 बजट एवं व्यय

2016-17 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत निधियों के आवंटन एवं किये गये व्यय की समग्र स्थिति तालिका 2.6 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.6: 2016-17 के दौरान निधियों के आवंटन एवं किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
राजस्व	2,376.83	2,790.90	414.07
पूँजी	1,042.35	1,141.46	99.11
कुल	3,419.18	3,932.36	513.18

स्रोत: विनियोजन लेखे

¹⁰ राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण, 2216-आवास, 3054-सड़कें एवं पुल तथा पूँजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत 4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय सहित।

¹¹ 2059-लोक निर्माण, 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 2216-आवास, 2700-मुख्य सिंचाई योजना, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई तथा 2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4705- कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2016-17 के दौरान छः मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,419.18 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति, जैसा कि तालिका 2.7 में दिया गया है, ₹ 3,932.36 करोड़ का व्यय किया गया था, परिणामतः ₹ 513.18 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखे) ने बताया (अगस्त 2017) कि व्यय आधिक्य का मुख्य कारण उच्चत शीर्ष के अंतर्गत सामग्री की बुकिंग था और इसे राज्य विधान सभा से नियमित करवाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट प्रावधान के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका 2.7: बजट प्रावधान की तुलना में आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल		
राजस्व (दत्तमत)							
1.	2059-लोक निर्माण	548.58	शून्य	(-) 50.91	497.67	1,048.05	550.38
2.	2216-आवास	16.76	शून्य	(-) 0.44	16.32	15.65	(-) 0.67
3.	3054- सड़क एवं पुल	2,228.96	10.48	(-) 376.60	1,862.84	1,727.20	(-) 135.64
योग		2,794.30	10.48	(-) 427.95	2,376.83	2,790.90	414.07
पूँजीगत (दत्तमत)							
4.	4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	22.99	43.17	शून्य	66.16	66.13	(-) 0.03
5.	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	35.00	0.25	शून्य	35.25	35.23	(-) 0.02
6.	5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	817.88	75.97	(-) 22.90	870.95	1,001.89	130.94
योग		875.87	119.39	(-) 22.90	972.36	1,103.25	130.89
पूँजीगत (प्रभारित)							
7.	5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	शून्य	69.99	शून्य	69.99	38.21	(-) 31.78
योग		शून्य	69.99	शून्य	69.99	38.21	(-) 31.78
सकल योग		3,670.17	199.86	(-) 450.85	3,419.18	3,932.36	513.18

2.5.1.2 अवास्तविक अनुमान के परिणामस्वरूप प्रावधानों की तुलना में आधिक्य नियमन हेतु अपेक्षित

- राजस्व शीर्ष "2059-लोक निर्माण" के अंतर्गत ₹ 548.58 करोड़ के मूल प्रावधान को ₹ 50.91 करोड़ पुनर्विनियोजन कर कम किया गया था, के प्रति विभाग ने ₹ 1,048.05 करोड़ का व्यय किया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 550.38 करोड़ (आवंटित निधियों के सौ प्रतिशत से अधिक) का व्यय आधिक्य हुआ जिसका कारण उच्चत शीर्ष के अंतर्गत सामग्री की बुकिंग बताया गया।
- इसी प्रकार, पूँजीगत शीर्ष (दत्तमत) "5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय" विभाग ने उच्चत के अंतर्गत सामग्री के बुकिंग पर ₹ 130.94 करोड़ का अधिक व्यय किया था।

अतः निर्माण कार्यों के वास्तविक निष्पादन के बिना बजट की तुलना में व्यय आधिक्य और विनियमन के बिना सामग्री का काल्पनिक पुस्तांकन वित्तीय औचित्य एवं बजट प्रक्रिया के सिद्धांतों के विपरीत है।

- दूसरी ओर, राजस्व शीर्ष "3054-सड़क एवं पुल" के अंतर्गत विभाग द्वारा ₹ 376.60 करोड़ के पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के बाद भी आवंटित निधियों के उपयोग करने में विफल रहा, परिणामतः वर्ष के अंत पर ₹ 135.64 करोड़ की निधियां अव्ययित/अप्रयुक्त रहीं।
- पूंजीगत शीर्ष-प्रभारित "5054-सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान में किए गए ₹ 69.99 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति विभाग ने मात्र ₹ 38.21 करोड़ का व्यय किया था तथा ₹ 31.78 करोड़ की राशि अव्ययित/अप्रयुक्त रही जिससे अनुपूरक अनुदान की मांग अनावश्यक/गलत इंगित हुई।

2.5.1.3 बजटीय रिटर्न को प्रस्तुत करने में विलंब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से वित्त विभाग को 1 अक्टूबर 2015 तथा 1 दिसंबर 2016 तक निर्धारित तरीके एवं फार्मों में क्रमशः बजट आकलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पणों की विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तथापि यह पाया गया कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने 2016-17 के दौरान 15 दिसम्बर 2015 एवं 23 फरवरी 2017 को बजट आकलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पणों की विवरणियां प्रस्तुत की थी और इस प्रकार क्रमशः 84 दिनों तथा 76 दिनों का विलंब हुआ था। इसने दर्शाया कि विभाग द्वारा बजट आकलनों तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पणों की विवरणियों को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सारणी का अनुसरण नहीं किया गया था।

2.5.2 अनुदान संख्या 13-"सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता"

2016-17 के दौरान अनुदान के अंतर्गत आवंटित निधियों तथा हुए व्यय की समग्र स्थिति निम्न तालिका 2.8 में दी गई है जो इंगित करता है कि विनियमन हेतु अपेक्षित ₹ 188.29 करोड़ का आधिक्य था।

तालिका 2.8: 2016-17 के दौरान आवंटित निधियों का प्रावधान तथा हुआ व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
राजस्व	2,411.00	2,599.29	188.29
पूंजी	583.45	397.74	(-) 185.71
कुल	2,994.45	2,997.03	2.58

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुदान के अंतर्गत ₹ 2,994.45 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 2,997.03 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 2.58 करोड़ का समग्र व्यय आधिक्य हुआ (पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 185.71 करोड़ की बचतों तथा राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 188.29 करोड़ का आधिक्य के परिणामस्वरूप)। मुख्य अभियन्ता ने बताया (अगस्त 2017) कि व्यय आधिक्य उचंचत शीर्षों के अंतर्गत सामग्री के बुकिंग के कारण था तथा आधिक्य राज्य विधानसभा से विनियमन हेतु सरकार को प्रस्तुत किया गया है और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत बचतें भारत सरकार से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे ए.आई.बी.पी., पी.एम.के.एस.वाई. एवं एफ.एम.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट प्रावधान के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2016-17 के दौरान 12 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2,994.45 करोड़ का कुल प्रावधान था जैसा कि निम्न तालिका 2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9: बजट प्रावधानों की तुलना में आधिक्य (+)/बचत (-)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान की तुलना में आधिक्य (+)/ बचत (-)
		वास्तविक	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल		
राजस्व प्रवर्ग							
1.	2059-लोक निर्माण	0.68	शून्य	शून्य	0.68	0.68	शून्य
2.	2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता (दत्तमत)	1673.91	95.50	(-) 49.93	1719.48	1911.20	191.72
	2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता (प्रभारित)	शून्य	0.64	शून्य	0.64	0.64	शून्य
3.	2216-आवास	0.04	शून्य	शून्य	0.04	0.04	शून्य
4.	2700-मुख्य सिंचाई	24.24	शून्य	(-) 5.40	18.84	12.62	(-) 6.22
5.	2701-मध्यम सिंचाई	16.89	शून्य	23.40	40.29	44.01	3.72
6.	2702-लघु सिंचाई	535.59	53.53	(-) 24.33	564.80	563.85	(-) 0.95
7.	2711-बाढ़ नियन्त्रण	9.96	शून्य	56.26	66.23	66.25	0.02
	योग	2261.31	149.67	--	2411.00	2599.29	188.29
पूंजीगत प्रवर्ग							
1.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	239.16	44.15	(-) 39.02	244.29	244.11	(-) 0.18
2.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	40.03	शून्य	(-) 14.76	25.27	25.27	शून्य
3.	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	139.38	शून्य	(-) 86.89	52.49	52.48	(-) 0.01
4.	4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	47.18	शून्य	(-) 19.21	27.97	27.99	0.02
5.	4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	73.56	शून्य	(-) 25.70	47.85	47.89	0.04
	योग	539.31	44.15	(-) 185.58	397.87	397.74	(-) 0.13
	सकल योग	2800.63	193.82	(-) 185.58	2808.87	2997.03	(-) 185.71

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

- मुख्य शीर्ष 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत ₹ 1,673.91 करोड़ के मूल विनियोजन के प्रति अनुपूरक अनुदानों तथा पुनर्विनियोजन के समायोजन के पश्चात् ₹ 1,911.20 करोड़ का व्यय हुआ था, परिणामतः ₹ 191.72 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। वर्ष के दौरान ₹ 95.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। लेकिन उसी समय ₹ 49.93 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। इससे अनुपूरक प्रावधान के गलत निर्धारण के साथ-साथ ₹ 49.93 करोड़ का अनावश्यक/अनुचित पुनर्विनियोजन हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय ₹ 191.72 करोड़ तक अधिक था।
- मुख्य शीर्ष 2215-01-799 के अंतर्गत सामग्री की अधिक खरीद (₹ 115.69 करोड़), जलापूर्ति स्कीम/ सिंचाई के विद्युत प्रभारों के भुगतान (₹ 100.58 करोड़), ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों (₹ 41.29 करोड़), बिना कारण बताये मुख्य/मध्यम सिंचाई (₹ 30.27 करोड़), जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन एवं अनुरक्षण (₹ 77.65 करोड़) के लिए पुनर्विनियोजन किए गए थे जो वर्ष के लिए बजट प्रावधान के गलत आकलन को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त सामग्री की अधिक खरीद के लिए किया गया पुनर्विनियोजन (₹ 115.69 करोड़) स्पष्टीकरण रहित है।

2.5.2.1 बजटीय रिटर्न को प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से निर्धारित तरीके और फार्मों में बजट आकलन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वर्ष 2016-17 के लिए बजट आकलन वित्त विभाग को 1 अक्टूबर 2015 तक प्रस्तुत किए जाने थे लेकिन ये 6 जनवरी 2016 को प्रस्तुत किए गए, परिणतः 98 दिनों का विलम्ब हुआ। आगे, 1 दिसम्बर 2016 तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित आधिक्य एवं अभ्यर्पणों की विवरणी वास्तव में 28 जनवरी 2017 को 59 दिनों के विलम्ब सहित प्रस्तुत की गई थी। अतः विभाग आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों की विवरणियाँ प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सारिणी का अनुसरण नहीं किया गया था।

उपर्युक्त बिन्दु सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा असक्षम योजना तथा निधियों की आवश्यकता का अवास्तविक आकलन को इंगित करते हैं।

2.6 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

2.6.1 पेंशन लाभों का अधिक भुगतान

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जिला कोषागारों/कोषागारों/उप-कोषागारों के निरीक्षण (2016-17 के दौरान) के दौरान पेंशन भुगतान के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि नौ जिला कोषागार अधिकारियों ने 32 पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को ₹ 26.18 लाख तक अधिक भुगतान किया था, जैसाकि तालिका 2.10 में ब्यौरा दिया गया है। अधिक भुगतान सम्बन्धित पेंशनभोगियों को पेंशन के कम्प्यूटिड भाग को न घटाने/पूर्व बहाली और निर्धारित अवधि के बाद बढ़ाई गई परिवार पेंशन के भुगतान के कारण हुआ था।

तालिका 2.10: वर्ष 2015-16 के दौरान (निरीक्षण प्रतिवेदन 2016-17 में जारी किए गए) पेंशन लाभों का अधिक भुगतान (कम्प्यूटेशन/परिवार पेंशन के आधार पर)

क्रमांक	जिला कोषागार/कोषागार का नाम	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक के माध्यम से	कोषागार के माध्यम से	कोषागार वार कुल (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार, बिलासपुर	पारिवारिक पेंशन	02	--	कोषागार के द्वारा	3.74
2.	जिला कोषागार, चम्बा	पारिवारिक पेंशन	01	--	कोषागार के द्वारा	1.60
		कम्प्यूटेशन	01	--	उपर्युक्त	0.13
3.	जिला कोषागार, हमीरपुर	पारिवारिक पेंशन	02	--	कोषागार के द्वारा	4.34
4.	जिला कोषागार, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	पारिवारिक पेंशन	04	--	कोषागार के द्वारा	2.41
5.	जिला कोषागार, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	पारिवारिक पेंशन	02	--	कोषागार के द्वारा	4.65
6.	जिला कोषागार, मंडी	कम्प्यूटेशन	10	--	कोषागार के द्वारा	2.02
7.	जिला कोषागार, शिमला	पारिवारिक पेंशन	05	--	कोषागार के द्वारा	2.63
8.	जिला कोषागार, सिरमौर स्थित नाहन	कम्प्यूटेशन	01	--	कोषागार के द्वारा	0.11
9.	जिला कोषागार, सोलन	पारिवारिक पेंशन	04	--	कोषागार के द्वारा	4.55
योग			32			26.18

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार की गई वर्ष 2015-16 के लिए हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

2.7 निष्कर्ष

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 32.29 करोड़ का समग्र आधिक्य व्यय ₹ 3,005.32 करोड़ की बचत तथा ₹ 3,037.61 करोड़ (उदय स्कीम से संबंधित ₹ 2,890.50 करोड़ सहित) के आधिक्य का निवल परिणाम था। 2011-12 से 2016-17 की अवधि से सम्बन्धित

₹ 9,402.18 करोड़ का व्यय आधिक्य राज्य विधानसभा के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन हेतु अपेक्षित था।

14 उप-शीर्षों में ₹ 2,113.09 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान के अनुरूप नहीं था अथवा कुल अनावृत् अधिक व्यय रहा था और 27 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में निधियों का पुनर्विनियोजन अनुचित रूप से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य/बचतें हुईं। 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) में वित्त वर्ष के अंत पर ₹ 2,862.82 करोड़ अभ्यर्पण किया गया था। 62 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ 379.63 करोड़ राशि के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किए गए थे।

नौ मामलों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय 54 से 91 प्रतिशत के मध्य था और मार्च 2017 के महीने के दौरान इन लेखा-शीर्षों के अन्तर्गत किया गया व्यय कुल व्यय का 51 से 79 प्रतिशत था।

2.8 सिफारिशें

- (i) नियन्त्रण/वितरण अधिकारी आवश्यकता अनुसार आवंटित निधियों के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए संस्वीकृत आवंटन के प्रति व्यय की प्रगति पर सख्त व नियमित निगरानी रखें। वे मासिक व्यय नियन्त्रण तथा निगरानी तंत्र को भी विशेष रूप से मजबूत करें।
- (ii) समस्त विभागों द्वारा वर्ष के अंत पर बड़े स्तर पर बचतों/आधिक्यों, पुनर्विनियोजनों एवं अभ्यर्पणों से बचने के लिए व्यय की प्रवृत्तियों के मद्देनजर वास्तविक बजट आकलन प्रस्तुत किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनको अन्य क्षेत्रों/स्कीमों में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सके।
- (iii) राज्य सरकार को वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही/मास में व्यय की तीव्रता से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र बनाना चाहिए।